MyNEP

Aayushi
International Interdisciplinary
Research Journal

Impact Factor –7.149
ISSN-2349-638x

National Conference

on

Implementation of National Educational Policy (NEP) 2020

4th April 2021

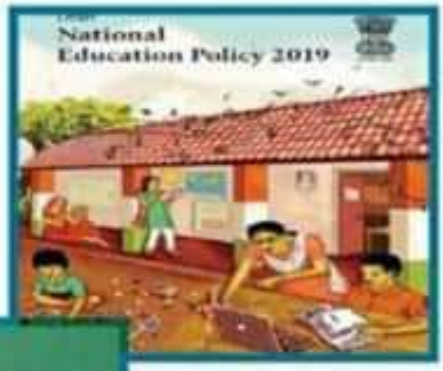

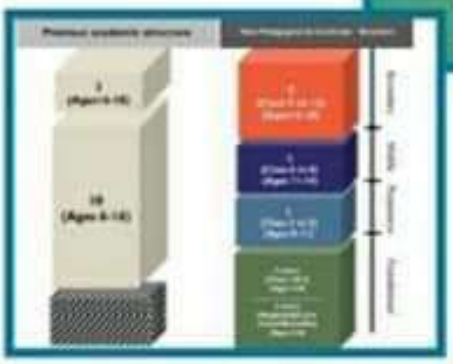

Editor

Dr. Maheshwar Kallave
Dr. Manish Deshpande

Organized By

Vidya Bharti Devgiri Prant Shiksha Sansthan, Aurangabad (MS)
and
Swami Vivekanand Sevabhavi Sanstha, Osmanabad (MS)

Impact Factor – 7.149 ISSN-2349-638x

National Conference

on

Implementation of National Educational Policy (NEP) 2020

4 th April 2021

Organized By

Vidya Bharti Devgiri Prant Shiksha Sansthan, Aurangabad (MS)

&

Swami Vivekanand Sevabhavi Sanstha, Osmanabad (MS)

Editor

Dr. Maheshwar G. Kallave

Dr.Manish Deshpande

Index

Sr. No.	Name of the Author	Title of the Paper	Page No.
1	Hemant Anil Joshi Dr. P.P.Chhajed	Role of Teacher in Higher Education as Concerned to National Education Policy 2020	1
2	Dr. Manish M. Deshpande	Restructuring Teacher Education	9
3	Dr. Maheshwar G. Kallave	Restructuring the Strategy to Inculcate Quality in Educational Research: NEP-2020	13
4	Dr. Vivek Vasantrao Katdare	Journey towards Healthy Humanity	17
5	Mr. Sunil Chandarrao Wadikar	Implementation of Assessment Policy for Student Development- Role of a Teacher	22
6	Dr. K. D. Aragade	The Effects of collaborative Learning Strategies on The Achievements in Std. IX (English) Students in NEP-2020	26
7	Dr. Pradeep Madhukar Wagh	A Study of Attitude of English & Marathi Medium Primary School Teachers towards Inclusive Education	31
8	डॉ. विनोदकुमार विलासराव वायचळ 'वेदार्य'	नई शिक्षा नीति का क्रियान्वयन : भाषा-साहित्य शिक्षा और अनुसंधान के विशेष सन्दर्भ में	36
9	प्राची रवींद्र साठे	माध्यमिक स्तरावरील व्यवसाय शिक्षणाचा पू[illegible] म्हणून शालेय विषयातून पूर्व व्यावसायिक कौशल्याचा विकास	42
10	सौ.प्रांजली अजय आफळे	माध्यमिक शिक्षणात व्यावसायिक शिक्षणाबरोबर आंतरवासिता	47
11	योगेश्वरी नागोराव इंद्राक्षे	शालेय शिक्षणाच्या उन्नतीसाठी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मधिल समग्र मूल्यमापन : एक दूरदर्शी दृष्टीकोन	52
12	डॉ. नितु सुनील गावंडे	राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-2020 संदर्भात विद्यार्थ्यांच्या पायाभूत साक्षरता व अंकज्ञानाच्या विकसनात शिक्षकांची भूमिका	57
13	श्रीमती दिपाली संभाजी चौधरी	राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मधील माध्यमिक शिक्षणात किशोर अवस्थेचा विचार करून कौशल्य विकसन	63
14	श्री शिवाजी रामराव चव्हाण डॉ.श्रीमती ए.आर.राऊत	नविन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील पुर्वप्राथमिक शिक्षणात सुचविलेले क्रांतीकारी बदल : एक चिंतन	67

नई शिक्षा नीति का क्रियान्वयन : भाषा-साहित्य शिक्षा और अनुसंधान के विशेष सन्दर्भ में

डॉ. विनोदकुमार विलासराव वायचळ 'वेदार्थ'
सहायक प्राध्यापक एवं अध्यक्ष,
हिंदी विभाग,
व्यंकटेश महाजन वरिष्ठ महाविद्यालय,
उस्मानाबाद (धाराशिव)
इमेल - vvvinvay3@gmail.com

" एतद्देशप्रसूतस्य सकाशाद्ग्रजन्मन:|
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्पृथिव्यां सर्व मानवा:||"

मनुस्मृति (२/२०)

अर्थात् "इसी आर्यावर्त में उत्पन्न हुए विद्वानों से भूगोल के सब मनुष्य अपने-अपने चरित्र (आचरण) की शिक्षा ग्रहण करें और विद्याभ्यास करें|"

सृष्टि निर्माण काल से लेकर महाभारत काल तक अर्थात् पाँच सहस्र वर्षों से पहले तक सम्पूर्ण विश्व में भारत का एकछत्र साम्राज्य था| शिक्षा की दृष्टि से हमारा प्रिय देश भारतवर्ष एक समय सम्पूर्ण विश्व का गुरु था| केवल शिक्षा ही नहीं व्यापार के क्षेत्र में भी भारत के उपनिवेश सम्पूर्ण विश्व में फैले हुए थे| किन्तु महाभारत के युद्ध में गुरुकुल प्रणाली पर कुठाराघात होने के कारण शिक्षा व्यवस्था के साथ-साथ लगभग सभी क्षेत्रों में एक प्रकार से ग्लानी छा गयी| परिणामत: गुरुकुल के स्थान पर घर या धार्मिक उपासना स्थानों पर न्यूनाधिक शिक्षा प्रदान की जाती रही| वैदिक, वैष्णव, शैव, शाक्त, गाणपत्य, जैन और बौद्ध उपासना स्थानों पर शिक्षा का एक प्रकार से प्रबंधन हो गया| धीरे-धीरे ये उपासना स्थान विद्या के केंद्र बनते गये तथा इन्हीं में से कतिपय स्थानों पर उक्त सम्प्रदायों के शिक्षा केंद्र बने और विश्वभर के जानार्थियों के लिये विश्वविद्यालयों की भूमिका निभाते रहे|

तक्षशिला (पाकिस्तान), नालंदा (बिहार), उदान्तपुरी (बिहार), सोमपुरा (बांग्लादेश), जगद्दल (पश्चिम बंगाल), नागार्जुनकोंडा (आंध्रप्रदेश), विक्रमशिला (बिहार), वल्लभीपुर (गुजरात), वाराणसी (उत्तर प्रदेश), कांचीपुरम (तमिलनाडु), मणिक्षेत्र (कर्नाटक), शारदापीठ (कश्मीर), पुष्पगिरी (उड़ीसा) इन तेरह विश्वविद्यालयों के साथ-साथ सम्पूर्ण भारतवर्ष में गुरुकुलों के रूप में शिक्षा के केंद्र फैले हुए थे| विश्व के सभी देशों से शिक्षा प्राप्त करने हेतु युवक भारत में आकर पढाई करते थे और अपने ज्ञानभण्डार को समृद्ध करते थे|

किन्तु समय ने एक बार फिर पल्टा खाया और मध्ययुगीन आक्रान्ताओं ने इन विश्वविद्यालयों और उनमें संकलित ज्ञानराशि के रूप में उपलब्ध ग्रंथों का विनाश किया| तब से भारत अपना विश्वगुरु होने का सम्मान खो चुका है| इतना ही नहीं विधर्मियों के शासन की चुंगल में फँसकर अपनी समृद्ध ज्ञान परम्परा को विस्मृत कर चुका है| इस दुर्भाग्य में आखिरी वार लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति ने किया| इस वार का परिणाम इतना मारक था कि भारत स्वाधीन होने के साठ-सत्तर वर्ष बाद भी इसका कोई तोड़ नहीं पा रहा था| वैसे भरा में शिक्षा सुधार के नाम पर अनेक आयोग और समितियाँ नियुक्त तो की गई, परन्तु जिसे विशुद्ध भारतीय

शिक्षा परम्परा कही जाए, कहीं भी कभी भी दिखाई नहीं दे रही थी| भारत सरकार ने १९४८-४९ में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (राधाकृष्णन आयोग), १९५२-५३ में माध्यमिक शिक्षा आयोग (मुदलियार आयोग), १९६४ में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (कोठारी आयोग), १९६८ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति और १९८६ में नई शिक्षा नीति (यथा संशोधित १९९३) के रूप में कुछ प्रयास तो हुए| परन्तु इन प्रयासों में कहीं भी भारत की विशेषता दिखाई नहीं दी|

भारतीय अंतरीक्ष विज्ञान अनुसंधान संस्था (इस्रो) के भूतपूर्व अध्यक्ष डॉ. के. कस्तूरीरंगन के नेतृत्व में नई रास्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप २०१९ में बना| इस प्रारूप को जन सामान्य और शिक्षाविदों के सामने विचार-विमर्श के लिए रखा गया| लाखों परामर्शों को आत्मसात करने के उपरांत इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संशोधित प्रारूप को दि. २९ जुलाई २०२० के दिन भारत की संसद ने सर्वमत से स्वीकार किया| अर्थात् २९ जुलाई २०२० से सम्पूर्ण भारतवर्ष में यह शिक्षा नीति लागू हो गयी| राजनैतिक दृष्टि से अब कोई व्यवधान नहीं रहा पर सैद्धांतिक दृष्टि से स्वीकार की गयी इस नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० का क्रियान्वयन करना भी कोई सरल काम नहीं है|

पहले हम उच्चतर शिक्षा के बदले हुए ढाँचे को समझने का प्रयास करेंगे| इस ढाँचे की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें बहुविध प्रवेश और बहुविध निकास का प्रावधान किया गया है| साथ ही बहुविद्याशाखीय अध्ययन की सुविधा राखी गयी है| अब पहले की तरह कला, विज्ञान, वाणिज्य इन विद्याशाखाओं का विलय हो चुका है| युवा छात्र अपनी रुचि के अनुसार पाठ्य विषयों का चयन कर सकेंगे| इतना ही नहीं अपितु एक वर्ष के पश्चात् पदविका, दो वर्षों के पश्चात् प्रगत पदविका, तीन वर्षों के पश्चात् पदवी और चार वर्षों के पश्चात् शोध पदवी प्राप्त कर सकेंगे| इन में प्रथम वर्ष के उपरांत शिक्षा से निकास कर किसी भी व्यवसाय में कुछ दिन अर्थार्जन कर पुन: द्वितीय वर्ष में प्रवेश कर सकता है| तीन वर्षों के बाद वह दो वर्षों का पदव्युत्तर पाठ्यक्रम पूरा करा सकता है| चार वर्षों के अध्ययनोपरांत पदव्युत्तर पदवी के लिए उसे दो के स्थान पर एक ही वर्ष पढ़ने पर पदव्युत्तर पदवी प्राप्त होगी| पदव्युत्तर पदवी के उपरांत वह छात्र शोधकार्य करा सकता है| पर यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि शोधार्थी को विद्यानिष्णात (एम्. फिल.) करने की अनिवार्यता समाप्त कर दी है अब वह सीधे विद्यावाचस्पति (पी-एच. डी.) का शोधकार्य कर सकता है| इसके लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाऊंडेशन की स्थापना कर गुणवतापूर्ण अकादेमिक अनुसंधान को बढावा अवश्य मिलेगा|

संक्षेप में कहा जाये तो एक वर्ष पढ़ने वाला कोई भी युवा किसी अन्य विषय के पाठ्यक्रम में प्रवेश लेकर अपनी अगली पढाई पूरी करा सकता है| इतना ही नहीं वनस्पतिशास्त्र में रुचि रखनेवाला राजनीतिशास्त्र भी पढ सकता है| इतिहास पढनेवाला गणित भी पढा सकता है| वाणिज्य पढ़नेवाला संगीत भी पढ सकता है| अर्थात् छात्र की रुचि ही महत्वपूर्ण रहेगी| अब इतनी सुविधाएँ प्रदान करने पर छात्र बड़ी प्रसन्नता से अपनी उच्चतर शिक्षा पूरी कर सकेगा|

भाषा का अध्ययन दो प्रकार से किया जाता है| पहला - भाषा के अध्ययन के रूप में और किसी भी विषय के अध्ययन के माध्यम के रूप में| जहाँ तक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० का प्रश्न है, यह भारतीय भाषाओं के माध्यम से उच्चतर शिक्षा पर बल देती है|

९.३.क. "स्थानीय/ भारतीय भाषाओं में शिक्षा या कार्यक्रमों का माध्यम प्रदान करते हों|

१०.८ श्रेष्ठ गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा संस्थान सार्वजनिक और निजी दोनों को विकसित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जायेंगे, जिनके निर्देश का माध्यम स्थानीय/ भारतीय भाषाओं या द्विभाषिक होगा|

११.१ प्राचीन भारतीय साहित्य जैसे बाणभट्ट की कादंबरी शिक्षा को ६४ कलाओं के ज्ञान के रूप में परिभाषित/ वर्णित करती है|

११.२ रचनात्मकता और नवाचार, आलोचनात्मक चिंतन एवं उच्चतर स्तरीय चिंतन की क्षमता, समस्या समाधान योग्यता, समूह कार्य में दक्षता, सम्प्रेषण कौशल....

११.३ ऐसी शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास : कला, मानविकी, भाषा, भाषा विज्ञान, और व्यावसायिक-तकनीकी क्षेत्रों में .....व्यावहारिक कौशल जैसे - सम्प्रेषण, चर्चा, वाद-विवाद और एक चुने हुए क्षेत्र या क्षेत्रों में विशेषज्ञता में मदद मिलेगी|

११.७ भाषा, साहित्य, संगीत, दर्शन, भारत-विद्या, कला, नृत्य नाट्यकला, शिक्षा, गणित, सांख्यिकी, सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, खेल, अनुवाद एवं व्याख्या और अन्य ऐसे विषयों के विभागों को बहु-विषयक, भारतीय शिक्षा और वातावरण को प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित और मजबूत किया जाएगा|

२२. भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति का संवर्द्धन करना होगा|

अब हम केवल भाषा, साहित्य की शिक्षा और अनुसंधान के क्रियान्वयन पर ही विचार करेंगे| नई शिक्षा नीति के अनुच्छेद २२.५ में कहा गया है कि विगत ५० वर्षों में भारत की २०२० भाषाएँ लुप्त हो चुकी हैं| यूनेस्को ने १९७ भारतीय भाषाओं को लुप्तप्राय घोषित किया है| विभिन्न भाषाएँ विलुप्त होने की कगार पर हैं, विशेषत: वे भाषाएँ जिनकी लिपि नहीं है|

२२.५ में कहा गया है कि वस भारतीय भाषाएँ भी जो आधिकारिक रूप संविधान सम्मत २२ भाषों का विकास करना होगा|

यदि हमारी नई शिक्षा नीति का मूल लक्ष्य २०४० तक भारत को विश्व की महाशक्ति बनाना है तो सबसे पहले हमें हमारी भाषाओं का विकास करना होगा| लगभग डेढ़ सौ वर्ष पहले आधुकिन हिंदी के पुरोधा बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा था -

निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नतिन को मूल|
बिन निज भाषा ज्ञान के न कटत हिय को सूल||

आज चीन, जापान, रूस और जर्मनी जैसे देश पूरे विश्व के सिरमौर मात्र इसीलिये हैं कि उनकी उच्चतर शिक्षा का माध्यम उनकी अपनी भाषाएँ है, अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषा नहीं| यह सच है कि आज तकनीकी ज्ञान के लिए हमें अंग्रेजी भाषा पर अवलम्बित रहना पद रहा है| किन्तु इस ज्ञान को आत्मसात करने के लिये हमें ठीक उसी प्रकार से ज्ञान अर्जित करना होगा, जिस प्रकार उपर्युक्त देशों ने किया है| हमारी केन्द्रीय सरकार और प्रांतीय सरकारों ने जो किया है, उसका अनुसरण करना होगा| किसी भी विदेश में जो तकनीकी ज्ञान निर्माण हो रहा है, चाहे वह अंग्रेजी भाषा में हो या जर्मन भाषा में सारा ज्ञान हमें प्राप्त तो होना ही चाहिये, इसमें कोई शंका नहीं होगी|

हमें कुछ होनहार छात्रों से उस ज्ञान को उस-उस भाषा में अर्जित करना होगा। पर जैसे ही वे छात्र ये ज्ञान अपने देश में ले आयें तो वे अपना सारा ज्ञान केन्द्रीय स्तर और प्रादेशिक स्तर पर अपने सरकार द्वारा निर्मित अनुवाद मंत्रालय के अंतर्गत विद्वान अनुवादकों से संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित सभी भाषाओं में अधिक से अधीन एक वर्ष के भीतर अनुदित कर शिक्षा मंत्रालय को सौंप दें। जिससे नवीनतम ज्ञान तीन वर्ष के भीतर तक पाठ्यक्रमों में निर्धारित कर युवा छात्र-छात्रों को पढ़ने के लिए उपलब्ध करा दें।

केवल शिक्षा ही नहीं उक्त अनुदित ज्ञान का उपयोग प्रत्येक व्यावसायिक-अव्यावसायिक प्रतिष्ठानों में खुल कर होगा तो ही उस ज्ञान का लाभ हमारे देश की उन्नति के लिए किया जा सकेगा और हम इस प्रकार के उपयोजन के लिए अन्य देशों पर अवलंबित नहीं रहेंगे। तो अपने आप हमारे देश में बने सामान का निर्यात कर सकेंगे और इस के द्वारा विदेशी मुद्रा भण्डार बढ़ता जायेगा। उच्चतर शिक्षा एवं अनुसंधान का माध्यम एतद्देशीय भाषाएँ रहेंगी तो ही यह संभव हो सकेगा।

भारतवर्ष की भाषाएँ अपने-आप में समृद्ध और शास्त्रीय भाषाएँ हैं, जिन के माध्यम से किसी भी प्रकार के ज्ञान का आदान-प्रदान किया जा सकता है। इसके लिये सबसे महत्त्व पूर्ण कार्य प्रत्येक विद्याशाखा में उपलब्ध ज्ञान के लिये एक सामान्य पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण किया जा सके। इस महतर कार्य के लिये हमें मूल रूप से भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत के अथाह शब्द भण्डार का उपयोग करने की आवश्यकता है। संस्कृत भाषा के ६४ वर्ण, ८ शब्द जाति, १८८० धातु (मूल क्रिया) , १० लकार, ३ पुरुष, ३ लिंग, ३ वचन, ३ पद, ३ वाच्य प्रयोग, २२ उपसर्ग, २४ परसर्ग, नाम, आख्यात, निपात आदि के संयोग से करोड़ों नए शब्दों की निर्मिती हो सकती है, जो दिन-दूने और रात-चौगुने वेग से बढ़ती हुई ज्ञानराशि की लिये अपने में बड़ी सहजता और सरलता से समाहित कर सकती है। भारतीय आर्य भाषाओं के साथ-साथ भारतीय द्रविड़ भाषाएँ भी इस अपार शब्द सागर का उपयोग कर सकटी हैं।

संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित २२ भाषाएँ -

असमिया, उर्दू, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बंगाली, मराठी, मलियालम, संस्कृत, हिंदी, सिन्धी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली ।

इन सभी भाषाओं का प्रयोग शिक्षा, अनुसन्धान, कार्यालय, व्यवसाय, विधि, कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी तकनीकी, वाणिज्य, बैंकिंग आदि सभी क्षेत्रों में प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक है।

भारतीय भाषाएँ साहित्य, सिनेमा और भाषावैज्ञानिक की दृष्टी से भी अत्यंत महत्वपूर्ण भाषाएँ हैं।

केन्द्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए सम्मत २५ भाषाएँ -

असमिया, उर्दू, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बंगाली, मराठी, मलियालम, संस्कृत, हिंदी, सिन्धी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली, राजस्थानी और अंग्रेजी।

ज्ञानपीठ पुरस्कारों के लिये सम्मत १५ भाषाएँ -

असमिया, उर्दू, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बंगाली, मराठी, मलियालम, संस्कृत, हिंदी, कोंकणी और अंग्रेजी ।

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के लिये सम्मत २४ भाषाएँ -

असमिया, उर्दू, उड़िया, कन्नड, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बंगाली, मराठी, मलियालम, संस्कृत, हिंदी, कोंकणी, मणिपुरी, अंग्रेजी, तुलु, पनिया, मिशिंग, खासी, हरियाणवी, भोजपुरी और छत्तीसगढी |

हिंदी की उपभाषाएँ एवं बोलियाँ :-

राजस्थानी हिंदी - १) मारवाड़ी, २) मेवाती ३) मालवी ४) जयपुरी

पश्चिमी हिंदी - ५) कौरवी (खड़ीबोली) ६) हरियाणवी ७) कन्नौजी ८) बुन्देली ९) ब्रजभाषा १०) निमाड़ी

पूर्वी हिंदी - ११) अवधी १२) बघेली १३) छत्तीसगढ़ी १४) सुरगुजिया

बिहारी हिंदी - १५) मगही १६) मैथिली १७) भोजपुरी १८) अंगिका १९) कुरमाली २०) खोरटा २१) नागपुरी २२) पंचपरगनिया

पहाड़ी हिंदी - २३) नेपाली २४) गढ़वाली २५) कुमायूँनी

विशिष्ट हिंदी - २६) दखिनी हिंदी २९) बागवानी हिंदी ३०) हिन्दुस्तानी

महानगरीय हिंदी - ३१) बम्बईया हिंदी ३२) कलकतिया हिंदी ३३) मदरासी हिंदी

विदेशों में हिंदी - ३४) ताज्जुज्बेकी हिंदी (तजाकिस्तान, कज़गिस्तान, किर्गिजिस्तान, उज्बेकिस्तान) ३५) रोमी हिंदी (रोमानिया) ३६) जिप्सी हिंदी (वेस्टइंडीज) ३७) सरनामी हिंदी (सूरीनाम) आदि|

भारतीय भाषाओं के अलावा हमें अपने पड़ोसी देशों की और विश्वस्तर की भाषाओं की शिक्षा की भी ऐच्छिक रूप में पढाई जा सकती है|

अन्य भाषाएँ -

उर्दू (पकिस्तान), बंगाली (बंगलादेश), नेपाली (नेपाल), सिंहली (श्रीलंका), तिब्बती (तिब्बत), बर्मी (म्यानमार), मंडारियन (चीन), जोंगखा (भूतान), दिवेही (मालदीव), पश्तो/ दारी (अफगानिस्तान), बहासा (इंडोनेशिया), कोरियन (दक्षिण एवं उत्तर कोरिया), जापानी (जापान), थायी (थाईलैंड), फिलिपिनी (फिलिपिन्स), मलय (सिंगापुर), खमेर एवं मलय (मलेशिया), फ़ारसी (ईरान), कुर्दी (ईराक), अरब (अरबस्तान), तुर्की (तुर्कस्तान), अंग्रेजी (इंगलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया), फ्रेंच (फ्रांस), जर्मन (जर्मनी), इटालियन (इटली), रूसी (रूस), ग्रीक (ग्रीस) आदि का अध्ययन भी किया जा सकता है|

धार्मिक भाषाएँ -

संस्कृत (वैदिक हिन्दू धर्म), अर्द्धमागधी (जैन), पालि (बौद्ध), अरबी (मुस्लिम), अवेस्ता (ईरानी-जरथ्रुष्ट), हिब्रू (यहूदी-ईसाई) आदि का अध्ययन भी किया जा सकता है|

क्लासिक भाषाएँ :-

ग्रीक, लैटिन आदि का अध्ययन भी किया जा सकता है|

नवनिर्मित भाषाएँ :-

पीजन, क्रियोल, एस्परैंतो आदि का अध्ययन भी किया जा सकता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के समुचित क्रियान्वयन को लेकर प्रथम भाषा (मातृभाषा) के रूप में मातृभाषा का अध्ययन-अध्यापन तो आवश्यक है ही, साथ ही द्वितीय भाषा (अन्य भाषा) के रूप में समस्रोतीय भारतीय भाषा (मराठी-हिंदी), विषमस्रोतीय भारतीय भाषा (तमिल-तेलुगु), समस्रोतीय विदेशी भाषा (जैसे अंग्रेजी-जर्मन), विषमस्रोतीय विदेशी भाषा (जैसे - चीनी-जापानी) का अध्ययन-अध्यापन आवश्यक है। पर हम सभी की सांस्कृतिक संवेदना को जीवित रखने के लिए 'संस्कृत' भाषा का अध्ययन और अध्यापन अनिवार्य है।

Aayushi International Interdisciplinary Research Journal
ISSN 2349-638X
www.aiirjournal.com